स0सं0–3/न्याय–01–19/2012 609(3)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सचिच्दानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 13.10.17

विषयः प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अनुरोध करना है कि संलग्न प्रेस विज्ञप्ति को राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक 16/17.10.2017 को प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

13/10/17

(सचिच्दानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

अनग्नकः यथोक्त सी0डी0 सहित ।

स0सं0–3/न्याय–01–19/2012
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

अवमाननावाद संख्या 1674/2012 में दिनांक 26.04.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी जो 62 वर्ष की आयु में दिनांक 28.01.2011 से 22.12.2011 के बीच वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके हैं, उन्हें 65 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए तद्नुसार वेतन एवं अन्य सेवान्त लाभ का भुगतान SLP(Civil) CC संख्या 24758–24765/2016 में पारित होने वाले आदेश से प्रभावित होने एवं यथावश्यक भुगतान की गई राशि संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से वसूलनीय होने की शर्त पर करने की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 243(3) दिनांक 22.05.2017 द्वारा दी गई है ।

उक्त निर्णय के आलोक में बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के वैसे चिकित्सक जो 62 वर्ष की आयु में दिनांक 28.01.2011 से 22.12.2011 के बीच वार्धक्य सेवानिवृत हुए हैं, उनके द्वारा शपथनामा स्वास्थ्य विभाग, बिहार को उपलब्ध कराया गया, जिसे महालेखाकार/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को भेज भी दिया गया है। महालेखाकार/ वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित चिकित्सकों का वेतन पूर्जा भी निर्गत कर दिया गया है । किन्तु प्रायः चिकित्सकों द्वारा प्राप्त पेंशन का बैंक विवरणी, कैंशिल चेक, PPO Copy, LPC Copy & PAN Card निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण भुगतान वाधित है ।

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद संख्या–1674/2012 एवं समरूप वादों में दिनांक 11.10.2017 को सुनवाई की गयी तथा सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 08.11.17 को निर्धारित की गयी है।

अतः संबंधित चिकित्सकों से अनुरोध है कि वॉछित अभिलेख अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे कि भुगतान किया जा सके तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पूर्णतः अनुपालन हो सके।

609(3)
13.10.17

विश्वासभाजन

(सच्चिदानन्द चौधरी) 13/10/17
सरकार के विशेष सचिव